

न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी-देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0



(1) राजस्व अपील सं0 03/2024

नहना देवी पत्नि खैरातीलाल जाति मीना निवासी पुरोहिता का बास तहसील सैथल वर्तमान तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंड

(2) राजस्व अपील सं0 04/2024

नहना देवी पत्नि खैरातीलाल जाति मीना निवासी पुरोहिता का बास तहसील सैथल वर्तमान तहसील कुण्डल जिला दौसा

..... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा

...रेस्पोंड

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार कुण्डल जिला दौसा दिनांक 18.8.2023 व दिनांक 16.1.2024 जो कि उनवानी प्रकरण सरकार बनाम नहना देवी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत मुकदमा नंबर 9/2023 व 55/2023 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित:-1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 27.02.2025

1. उक्त दोनों अपीलों के तथ्य एवं विषयवस्तु लगभग एक समान है। अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण एकल निर्णय के द्वारा किया जा रहा है।
2. उक्त दोनों अपीलों में उप तहसीलदार कुण्डल को पक्षकार बनाया गया है।
3. उक्त दोनों अपीलों में अपीलांट के द्वारा उप तहसीलदार कुण्डल द्वारा निर्णय जो कि प्रकरण सं0 9/2023 व 55/2023 में दिनांक 18.8.2023 व 16.1.2024 को पारित किये गये हैं, से व्यथित होकर उक्त निर्णयों को निरस्त करने हेतु यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।
4. अधिवक्ता अपीलांट के बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से उनकी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई। अपील मीमों में अंकित तथ्यों के अनुसार निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि, न्याय एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने एकतरफा में विधि विरुद्ध तरीके से निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का योग्य अधीनस्थ न्यायालय में कोई नोटिस तामील नहीं हुआ है। फिर भी अपीलांट को बेदखली का आदेश पारित करके कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाब, साक्ष्य, सबूत, जिरह, कोस एकजामिनेशन का अवसर दिये बिना ही व अपीलांट की बिना विधिवत तामील हुए ही उकतरफा में कानून को ताक में रखते हुए अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को उक्त निर्णयों की पूर्व में जानकारी नहीं थी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.3.2024 को कहने पर कि उक्त प्रकरण में तुम्हारे खिलाफ निर्णय हो गया है। तब अपदीलांट ने तहसील कायर्सालय में जानकारी करने पर उक्त निर्णय की जानकारी हुई है। अपीलांट अत्यन्त गरीब ग्रामीण काशतकार महिला है ~~अपीलांट को~~ अपीलांट को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए। अपीलांट के पास रिहायश के लिए ~~अपीलांट को~~ भूमि नहीं है। अपीलांट उक्त भूमि में रिहायश कर रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय उप तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित दिनांक 18.8.2023 व 16.1.2024 को निरस्त फरमाया जावे एवं अपीलांट को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करें।

जिला कलेक्टर, दौसा

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का कालीपहाडी द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त कुण्डल से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट की ओर से उसका पुत्र नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने राजकीय सिवायचक भूमि पर तारबंदी व जोत लगाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
6. हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि उप तहसीलदार कुण्डल के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.8.2023 व 16.1.2024 के द्वारा अपीलांट को ग्राम पुरोहितों का बास के राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 1000/3010 के रकबा 0.03 है. पर जोत व तारबंदी करने पर अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं आरोपित शास्ति से दंडित करने का आदेश पारित किया गया था जिससे व्यथित होकर यह अपीलें प्रस्तुत की गई है। पत्रावली के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि तहसीलदार कुण्डल द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट का पुत्र अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहा है। अपीलांट का यह कथन असत्य है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया। तहसीलदार कुण्डल द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस जारी कर साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। तहसीलदार/ उप तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पारित किया गया है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। हम अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य समझते है। अपीलांट द्वारा यह दलील दी गई है कि वह गरीब, ग्रामीण काश्तकार महिला है जिसे बेदखल नहीं किया जावे जो कि नियमानुसार नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा कई सामाजिक सरोकार की योजनाएँ संचालित की जा रही है किन्तु राजकीय सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करना किसी भी नियम या उपनियम के तहत अनुमत नहीं है।
8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार/उप तहसीलदार कुण्डल द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.8.2023 एवं 16.1.2024 जो कि मिसल नं० 9/2023 एवं 55/2023 में पारित किये गये है को बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। मूल निर्णय अपील सं० 03/2024 में रखा जावे एवं अपील सं० 04/2024 में इस निर्णय की छाया प्रति रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 27 फरवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयवाधि में की जा सकेगी।



(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर, दौसा

(देवेन्द्र कुमार)  
जिला कलेक्टर, दौसा